

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मूलचन्द लूणिया, आर.ए.एस.

छिन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर बनाम अमर सिंह आदि
दावा 53 आर.टी.ए मुकदमा नं0 38/2016

निर्णय दिनांक :- 29.11.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीयां की तरफ से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह व प्रतिवादीगण 2 की ओर से श्री सतवीर कुमार व राज पैरोकार पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -
वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 एस की जमाबंदी सम्वत् 2072 का 75 के खाता संख्या 4/4 के मुं0 न0 10 की 6.325 हैक्0 नहरी भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है।

छिन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री प्रीतो(माता) पिता जलौर सिंह पत्नि शंकर सिंह जाति मजहबी निवासी 7 एस तहसील श्रीकरणपुर हॉल निवासी कुण्डला तहसील अबोहर जिला फजिलका पंजाब का हिस्सा :- चक 8 एस की जमाबन्दी सम्वत् 2072 के 75 के खाता संख्या 4/4 के मुं0 नं0 10 के किला नं0 5,15,16 में प्रत्येक में 0.230 हैक्0 व किला नं0 25 में 0.101 हैक्0 कुल 0.791 हैक्0 रकबा(किला नं0 24,25 में रेतीला टिब्बा होने के कारण हिस्सा मुताबिक वादीयां को किला नं0 25 में 0.101 हैक्0 रकबा दिया गया है) शेष खाता बदसतुर रहेगा।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 29.11.2019 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(मूलचन्द लूणिया) राजस्व
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प ड्यूटी	100	00	मेहनताना वकली पर	0	00
योग	104	00	योग	2	00



(मूलचन्द लूणिया) राजस्व
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक :- 29-11-2019

क्रमांक :- राजस्व/19/456

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित।

(मूलचन्द लूणिया) राजस्व
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

